कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, सीकर

दिनांक :

क्रमांक :

कार्यालय आदेश

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ.वी. 5/माडा/प्रस्ताव/कृषि एवं अन्य/एसीटीडीए/14–15 (एससीए) जयपुर दिनांक 26.02.2015 एवं श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर के पत्रांक एफ13(1)माडा/15–16/631–32 दिनांक 17.11.2015 की पालना में स्वीकृति संख्या 78/2014–15 के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत बिखरी जनजाति क्षेत्र में 3 + 2 दिवसीय बांझपन निवारण शिविर ग्राम खदून्दरा में दिनांक 25.02.2016 से आयोजित करने हेतु नोडल अधिकारी खण्डेला को निर्देशित किया जाता है।

- बांझपन निवारण शिविर आयोजन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश निम्न प्रकार है :–
- कार्य विवरण :–

कार्य विवरण	राशि रूपयों मे
टेण्ट माईक व्यवस्था	500
परिवहन/मजदूरी/सफाई व्यवस्था आदि	500
मानदेय (विशेषज्ञ सेवाओं हेतु) न्यूनतम 2 विशेषज्ञ प्रतिदिन हेतु (कुल 5 दिवस X 2 विशेषज्ञ X 200/– प्रतिदिन	2000
योग :–	3000/–

- शिविर में 4–5 गांवों के एक कॉम्पेक्ट क्षेत्र का चयन किया जावेगा जहाँ पशुधन की संख्या अधिक हो, सभी प्रकार के पशुओं विशेषकर प्रजनन योग्य गायवंश व भैंस वंश का पूर्ण सर्वे करें जिसमें उन पशुओं के गत तीन वर्ष के उत्पादन व वत्स मृत्यु का सर्वे कर इस आधार पर चयनित बांझ पशु मालिकों की सूची तैयार करावें।
- शिविर आयोजन के पूर्व व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है।
- प्रथम शिविर 3 दिवस का लगाया जावेगा जिसमें प्राथमिक जांच व उपचार कर एवं पशुपालक गोष्ठी के माध्यम से पशुपालकों को बांझ निवारण, पोषाहार आदि की आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवायी जायेगी।
- शिविर में लाभार्थी पशुपालकों में 50 प्रतिशत महिला पशुपालक होना अनिवार्य होगा।
- प्रथम शिविर 3 दिन में चयनित बांझ पशुओं के उपचार विशेषज्ञों द्वारा जांच कर डोजिंग, टीकाकरण, हार्मोनल चिकित्सा की जावेगी।
- प्रथम शिविर वाले स्थान पर ही 20 दिवस पश्चात एक फोलोअप कैम्प लगाया जावेगा जिसमें प्रथम शिविर में उपचारित किये गये उन समस्त पशुओं का पुनः परीक्षण कर ताव में आये पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराया जायेगा तथा पशु उपचार के बाद भी ताव में नहीं आये पशुओं का पुनः उपचार किया जावेगा तथा इन पशुओं का फोलोअप 2 दिवस

Scanned by CamScanner

फोलोअप को 3 दिवसीय शिविर का हिस्सा मानते हुए पुनः फोलोअप कर कार्यवाही करें जिसमें हार्मोनल चिकित्सा/सिक्रोनाईजेशन भी किया जावेगा।

- शिविर में न्यूनतम 50 बांझ पशुओं का उपचार करना तथा न्यूनतम 50 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जावेगा।
- उपचारित पशुओं का नियमित फोलोअप सम्बन्धित पशु चिकित्सा संस्था द्वारा कर समस्त रिकॉर्ड संधारण किया जावेगा, जिससे बांझपन निवारण मुक्ति के परिणाम ज्ञात हो सकेंगे।

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, सीकर

क्रमांक : 23245-51 दिनांक : 12.2.16

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. श्रीमान् अति. निदेशक (क्षेत्र) पशुपालन विभाग, जयपुर/उदयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।
3. नोडल अधिकारी, खण्डेला को देकर लेख है कि मार्गदर्शिका निर्देशानुसार बांझपन निवारण शिविर का आयोजन कर बिल वाउचर प्रमाणीकरण के पश्चात शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावें।
4. लेखा/भण्डार/रोकड़पाल कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि शिविर सम्बन्धित आवश्यक दवाईयां एवं राशि उपलब्ध करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, सीकर

Scanned by CamScanner